RAJYA SABHA

Wednesday, the 10th May, 1995/20th Vaisakha, 1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Involvement of Delhi Police in Illegal mining

*501. DR. BAPU KALDATE: †
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that illegal mining in Delhi is fast increasing with the connivance of Delhi Police; and

(b) if so, what are the details thereof and the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

While instances of illegal mining in Delhi cannot be ruled out there is nothing to indicate that there is an increase in illegal mining activities in Delhi with the connivance of Delhi Police.

Reports of theft of badarpur sand and masonry stone, are, however, received now and then Efforts have been made by the officials of the Office of the Collector (Mines and Quarries), Department of Industries of the Government of NCT of Delhi, to check illegal mining in Delhi. The help of the Police is taken wherever required. Vehicles/trucks engaged in illegal mining are impounded u/s 21(4) of the Mines & Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, and composition fee is charged under section 23(A)(1) of the Act, from the owners of such vehicles/trucks.

During the last one year, a total of 159 vehicles engaged in illegal mining were impounded and were released on realisation of composition fee. During this period the total amount collected by way of composition fee was Rs. 4,20,600/-.

डा० मुरली मनोहर जोशी : मंत्री महोदय का आज जन्म दिवस है । इनके ऊपर आज तो रहम करिए ।

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, सईद साहब को हम सब लोग बधाई तो दे ही चुके हैं । चूंकि मेरा ही सवाल है उनके जन्म दिन पर इसलिए मैं सोचता हूं उनको कष्ट देना ज्यादा अच्छा नहीं है । उनके सौभाग्य से यह सवाल तीन मंत्रालयों से संबंधित है– एक तो माइनिंग वाला मंत्रालय है एक सर्वे आफ इंडिया वाला है और कुछ हद तक पुलिस वाला है । इस बात को मैं जानता हूं । सवाल यह है कि दोनों सरकारें, न हरियाणा की सरकार न दिल्ली की सरकार इसमें कोई अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभा रही है । यह हम देखते हैं कि कभी भी दिल्ली के अगल-बगल जाएं तो जहां जाएंगे वहां आपको माइनिंग के कारण बहुत बड़े-बड़े तालाब जैसे गढे कहीं-कहीं दिखाई देते हैं । इससे दो सवाल उठते हैं–एक सिलिका का और दूसरा लिठ्ठी का । मुझे याद है पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि उस इलाके में हम एक वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी वन्य प्राणियों का अभ्यारण्य शुरू करना चाहते हैं । लेकिन माइनिंग आज भी वहीं की वहीं है । पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए और सारी दिल्ली का जो कुछ भी डेवलपमेंट है उसकी दृष्टि से भी देखा जाए तो भी इल्लीगल माइनिंग बहुत जोर से हो रही है । हाई कोर्ट ने भी एक फैसले में यह कहा था तीन महीने के अंदर बॉर्डर्स को डिसाइड कर दिया जाए । ये बोर्डर्स भी अभी डिसाइड नहीं हुए हैं । इसका

† The Question was actually asked on the flor of the House by Dr. Bapu Kaldate.

एक बहुत ही खतरनाक परिणाम यह है, जहां तक हमारी जानकारी है कि एक महीने में कम से कम 20 लाख रुपए का नुकसान दिल्ली सरकार को इस इल्लीगल माईनिंग से होता है .....

MR. CHAIRMAN: Because it is his birthday, you are making a statement and not putting your question.

डा० बापू कालदाते : यह सवाल जरा थोड़ा बाहर हैं लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इल्लीगल माईनिंग को बंद करने के लिए सख्त कार्यवाही करके या कानून की दृष्टि से जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस दृष्टि से सरकार कुछ कदम उठा रही हैं या नहीं, यह पैरा पहला सवाल है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : आदरणीय सभापति जी, डा० बापू कालदाते जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं । मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि मेरे उत्तर में ही मैंने बताया है,—उन्होंने जो आपत्ति व्यक्त की कि एकाध जगह पर जहां माईनिंग की जा रही है वहां स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी बनाने के लिए कहा था—कि वे दोनों जगहें अब वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी में आ गई हैं । मैं यह खुश खबरी उनको देना चाहता हूं ।

दूसरी बात उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में कही । आप भी जानते हैं यहां पुलिस का रोल मिनरल एक्ट के मुताबिक जो है वह बहुत कम ही है । और जो एक्ट अभी लागू है उसके अंतर्गत यह उनके अपने ही आफीशियल्स माइन्स के डाइरेक्टर हैं, उनका स्टाफ ही यह देखभाल करता है । साथ-साथ यह सही बात है कि हरियाणा में माईनिंग का जो अभी है इसकी वजह से वह जो पकड़े जाते है वह यह कहते हैं कि हम जो मिनरल वहां से ले आते हैं इसलिए उनके पकड़ने वालों को यह रेड कंडक्ट करते हैं, उसका कार्यान्वयन करने वालों को थोड़ा कुछ तकलीफ होता ही है ।

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, ऐसा है कि इनका कहना दुरुस्त है कि यह कलैक्टर आफ माईनिंग के पास सही मायने में जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन आपने जैसा पहले तो लिखा है कि illegal mining in Delhi cannot be ruled out. इसका मतलब है कि यह तो मान लिया क्योंकि आपने नीचे आखिर में लिखा हैं कि during the last one year, a total of 159 vehicles engaged in illegal mining were impounded, so much money has been collected and all these things. इसका मतलब है कि पुलिस से उसका संबंध है इस ढंग से और आता होगा कि यह कलैक्टर आपके शिकायत किसके पास देता है, यह पुलिस स्वयं उसकी जांच करती है या कलैक्टर के पास, कलैक्टर जब उनको कहता है कि यहां कुछ हो रहा है तब पुलिस जाती है या नहीं यह एक बात हो जाती है । दूसरा यह है कि मैं यह बात नहीं मानता कि आम तौर पर सारी जगह पर पुलिस बहुत खराब ही खराब काम करती है । दिल्ली के अब तक मैं जानता हूं कि सेनसेशनल क्राइम हो या टैरोरिस्ट एक्ट के बारे में जो क्राइम्ज हैं इसमें कम करने के लिए यहां बहुत कोशिश की गई, ऐसी मेरी खुद की स्वयं जानकारी है लेकिन यहां हमको क्या लगता है कि पहले तो यह कि रोड्स वर क्लोज्ड, दिल्ली में आने के लिए रास्ते बंद कर दिए थे, अब खुराना साहब की सरकार आ गई और उन्होंने सारे रास्ते फिर खोल दिए, ऐसी हमारी, जानकारी है । दूसरी बात हो सकती है "वन थिंग कैन बी इन" कि क्या पुलिस आन देअर ओन' जो ट्रक्स आते होंगे उनको रोक नहीं सकते क्योंकि हमारी यह भी जानकारी है कि वह रोकते हैं और आमतौर पर जिसको हमारे महाराष्ट्र में "होशियारी एलाउंस" कहते हैं, उसका मतलब है रोक देना उसको धमका देना और कहना लाओ, कुछ पैसा है तो दे दो और फिर चले जाओ, ऐसी कई शिकायतें आपके पास आई हैं ? यह होशियारी एलाउंस वाला जो मामला चलता है उसी के कारण वहां के ट्रक

वाले यहां आकर वह जो इलीगल माइनिंग वाले लोग हैं, वह यहां कुछ न कुछ देते रहते हैं, ऐसी कोई शिकायत आपके यहां आई है और अगर आई है तो आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री पी० एम० सईद: आदरणीय सभापति जी आदरणीय मैम्बर का यह कहना कुछ हद तक सही है कि इलीगल माइनिंग होती है । यह बोलना मुनासिब नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती यहां आंकड़े मेरे सामने यह हैं कि 1992–93 में 50 रेड्स कंडक्ट किए और उसमें 187 वाहन इंपाउंडेड किए 7 लाख 10 हजार 5 सौ कंपोज़ीशन फी कलैक्ट किया । इसी तरह 1993–94 के आंकड़े देखे जाएं तो रेड कंडक्टेड 66 रेड्स तो ज्यादा कंडक्ट किए वाहन 170 और कंपोज़ीशन फी 4 लाख 51 हजार 6 सौ कलक्ट किया है । 1994–95 में 59 रेड्स कंडक्ट किए वाहन 159 इंपाउंड किए और कंपोज़ीशन फी 4 लाख 10 हज़ार 600 कलक्ट किया । इससे साबित होता है कि अफसरान जिसके लिए यह जो इलीगल माइनिंग आपरेशन कहीं भी होता है उसके लिए सतक रहता है और साथ-साथ इसमें जैसा उन्होंने मेरे ख्याल में एक किस्म से आरोप लगाया है पुलिस वाले मिलते होंगे यह बिल्कुल इसमें मुनासिब नहीं इसलिए कि इस एक्ट के अंतर्गत जो पावर दिया गया है वही लोग इसका सुपरविज़न करते हैं जब कभी पुलिस वाले की जरूरत पड़ती है, हां अब हमारी पुलिस उनको जो चाहे मदद करने के लिए तैयार होती है ।

डा० बापू कालदाते : पुलिस की किस लिए सहायता पड़ती है, पैसे के लिए या रेड के लिए ?

श्री पी० एम० सईद : उनके साथ रेड कंडक्ट करने के लिए जाने में । यह नहीं कि वह खुद जाएं और रेड करें । तो यह इस एक्ट के अंतर्गत उन्को अधिकार है ।

श्रीमती कमला सिन्हा : सर, मंत्री जी, ने अपने जवाब में कहा कि पुलिस की उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी कि दूसरे विभागों की है, खासकर खनन विभाग की है और पुलिस कभी-कभी तो पकड़ती है फिर अभी बापू कालदाते जी ने कहा कि उनके महाराष्ट्र में कोई एक शब्द "होशियारी अलाउंस" है ऐसे ही हमारी तरफ उसको "सलामी" कहते हैं और यह सलामी पुलिस विभाग में लेना-देना दोनों में चलता है । अब मैं यह जानना चाहती हूं इलीगल माइनिंग तो चालू है इसमें कोई दो राय नहीं और दिल्ली के आसपास दिल्ली हरियाणा बार्डर में हरियाणा में भी यह जोर-शोर से चालू है और दिल्ली फरीदाबाद इलाके में भी बहुत जोरों से चालू है और वहां जो लोग काम करते हैं वह बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं और एक्सीडेंट में मरते भी हैं लेकिन वह किसी की जिम्मेदारी नहीं होती । सभापति अभी यहा सौभाग्य से ऐनवायरनमेंट मंत्री जी भी बैठे हैं और इस विभाग की काफी हद तक उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या आपका कानून जो इलीगल माइनिंग हो रही है जिसके कि कारण लोग मर भी रहे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं तो आपका विभाग इसे रोकने के लिए हरियाणा सरकार के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है ? दिल्ली की सरकार के ऊपर कोई लगाम लगा रहा है कि इलीगल माइनिंग को पूरी तरह बंद कर दिया जाए और इस तरह से पुलिस की कमाइवेंस से धांधली न हो ? फिर आपने कहा अगर इसमें कोई पकड़ा जाता है तो उसके संबंध में आपने पिछले तीन सालों का ब्यौरा दिया है कि कितना-कितना रुपया आपने वसूला है ।

MR. CHAIRMAN: Please conclude and ask the question.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, I am concluding.

MR. CHAIRMAN: You are repeating the same thing what the Minister has said, what Mr. Kaldate has said and everybody has said. Please put a pointed question.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, normally I do put pointed questions only.

MR. CHAIRMAN: I allowed a long preface, but now you put your question.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, I would like to know what the Government is doing to prevent illegal mining in the Delhi—Haryana border area, especially in the Bhatti mines to protect the Aravalli Hills from degradation.

SHRI P. M. SAYEED: Sir, as I have already mentioned earlier, mining in Delhi is done in seven — eight villages, but after the passing of the Act and its implementation, four ridges of these areas have been declared as reserved forests and only two mines are now in operation.

DR. BAPU KALDATE: Are they legal?

SHRI P. M. SAYEED: Yes, they are legal, not illegal. Sir, no instance of illegal mining has come to our notice. As far as the arrangement is concerned, this can be further strengthened. It is not that there is no scope or further improvement. We will do everything possible. Even if there is no such mining taking place, a possibility is there, as I have already mentioned, because of the adjoining State of Haryana where licensed mining is going on. So, we will do everything possible to see that illegal mining does not take place.

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर सभापति जी गृह मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है उसमें बहुत बारीकी मुझे नजर आ रही है । उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से दिल्ली में अवैध खनन की गतिविधियों में वृद्धि हुई है । ठीक है पुलिस की मदद से वृद्धि हीं होती है इस बात के संकेत आपको मिले हैं लेकिन प्रश्न यह है कि पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन होता है या नहीं ? वृद्धि तो ठीक है आप इंकार करते हैं कि उनकी हेल्प से वृद्धि नहीं हो रही है । तो मैं स्पष्ट उत्तर जानना चाहता था कि क्या आपको इस तरह की कम्प्लेंट मिली हैं शिकायत मिली हैं कि पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है या नहीं हो रहा है ? पार्ट "बी" मेरा यह है कि 20 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की चोरी होती है अवैध खनन होता है और गाड़ियां जब्त करते हैं आपके आंकड़े के अनुसार 4,20,600/- रुपए का आपने समझौता किया । एक प्रोवीजन यह है कि "खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957" की धारा 21(4) में कि गाड़ियां जो इस अवैध काम में मिलेंगी पकड़ी जाएंगी उनके साथ आप समझौता कर लेंगे । आप समझौता कर लेंगे आपका 25 लाख का माल चला जाएगा और 4 लाख रुपया उसके बदले में सरकार को मिलेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून में गाड़ियों को स्थाई रूप से जब्त करने का प्रोवीजन नहीं है ? अगर प्रोवीजन है तो अब तक कितनी गाड़ियां जब्त की गई ? और, अगर इस तरह का प्रोवीजन नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस काम को रोकने के लिए कानून में इस तरह के परिवर्तन पर विचार करेगी कि जो गाड़ियां अवैध खनन के माल को ढोने में पकड़ी जाएंगी उनको स्थाई रूप से सरकार जब्त कर लेगी और समझौता नहीं करेगी ?

श्री पी०एम० सईद : सभापति महोदय जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि जो ऐसा माल परिवहन से आता है, वह पकड़ा जाता है और बकाया कार्यवाही होती है जिसका मैंने आंकड़ा दिया है । इसमें व्हीकल इम्पाउण्डेड का भी मैंने फिगर दिया है । उसके साथ-साथ जो आनर ट्रक का है उससे कम्पोजीशन फी भी वसूल किया जाता है और साथ-साथ अब इस कानून में ऐसी व्यवस्था तो है ही इसे लागू करने में और सतत कदम उठा सकते हैं । इसके बारे में हम गौर कर सकते हैं ।

श्रीमती मालती शर्मा : सभापति जी मैं मंत्री जी से यह जानकारी चाहती हूं कि यह जो ट्रक इस तरह से अवैध रूप से आते हैं पुलिस आफीसर उनके पीछे जाते हैं ... (**व्यवधान**) ... और चौराहे पर क्रोसिंग पर आकर जबकि पीछे

लंबी लाइन लगी रहती है इस बीच पुलिस के लोग भागे चले जाते हैं ट्रक वालों के साथ, जिससे पब्लिक एक्सीडेंट होते हैं तो क्या इस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा ताकि चौराहों के उपर, जहां कि इतनी पब्लिक इकट्ठी रहती हो, इस प्रकार की घटना न हो ? क्या मंत्री जी इस पर गौर करेंगे ?

SHRI P. M. SAYEED: Sir, I could not follow.

MR. CHAIRMAN: I think, the question is regarding the accidents taking place on the roads and what you can do about them?

SHRI P. M. SAYEED: Such instances have not come to our notice. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shri Jagmohan.

श्री संघ प्रिय गौतम : सुनाई नहीं दिया मंत्री जी ने क्या कहा ?

SHRI JAGMOHAN: Sir, may I know from the hon. Minister whether, regarding the land use of this area, so far as Delhi is concerned, in the Delhi Master Plan in the fixed green area mining is not permitted. So far as Haryana is concerned, under the National Capital Region Plan, this area is green and mining is not permitted. If the areas are green why do you not hand these over to the authorities who have to develop these in accordance with the scheme that was mentioned earlier? Why do you not give these to the authorities who are required to develop these instead of leaving them open and allowing illegal and surreptitious mining which goes on?

The second point which I want to ask is whether the Government would constitute special 'flying squads'. Because of the local contacts it is not possible to check effectively. Why do you not organise special squads to conduct surprise raids and award deterrent punishment so that this thing is ended. My colleague was right when he said that you impose a Rs. 4 lakhs as fine and they derive Rs. 50 lakhs as profits. This is not going to end this. Unless you cancel the permits, unless you cancel the licences ,this menance is not going to end. This is causing a great deal of harm to the environment in that area; all the ridges are being destroyed. Why do you not implement the statutory provisions of the Master Plan as well as of the National Capital Region Plan?

SHRI P. M .SAYEED: Sir, as far as the first part of the question is concerned, I have already mentioned in the House that only in two villages, two *pattis,* mining is going on now. That mining is legs? And not illegal. As for effective checking, we have some problems on this account because licences have already been given in Haryana, where mining is done legally. So, that difficulty is there. As far as the question of squad, as has been mentioned by the hon. Member, is concerned, under the Mines and Mineral (Regulation and Development) Act, 1957, they are empowered to supervise these activities. They have their own staff. That is how the raids were being conducted, vehicles were impounded and the other composition fees were collected. As I mentioned, there is scope for improvement. If the Opposition feels that the prosecutions can be launched, these things can be thought of. We will address to this problem and see that further strengthening on this matter will be done.

SHRI S .B. CHAVAN: May I just add one more point to what my colleague has said? Sir, the hon. Member has raised the question of Master Plan and the area earmarked for greenery. Certainly, we will examine this issue and try to hand over this area to the concerned authorities.

*502. (The Questioner (Shri Dilip Singh Judev) was absent. For answer vide Col. infra)

MR. CHAIRMAN: Question No. 503.

Purchase of wagons from Wagon India Ltd

*503. SHRI JOYANTA ROY: Will the the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Railways has decided to purchase 50 per cent of wagons from Wagon India Ltd.;

(b) whether the public sector undertakings like Burn Std., Braithwaite and Jessop India, would be given remaining 50 per sent of wagon supply orders for their survival from sickness; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) to (c) 50 per sent of the wagons to be ordered on the Industry in 1995-96 against Rolling Stock Programme (RSP) are presently proposed to be procured through Wagon India Ltd. These will be distributed between Public and Private Sector Units in accordance with Wagon India Ltd.'s proposal. Balance 50 per cent of the RSP wagons are proposed to be procured indigenously on the basis of a competitive tender.

SHRI JOYANTA ROY: Hon. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of this House, through you, to the long-followed biased policy of deprivation, of the Central Government towards West Bengal, which seems to be reflected again in the decision of the Ministry to purchase 50 per cent of the wagons required in 1995-96 from Wagon India Limited and 50 per cent through open tender. It is, therefore, clear that the Government, in the name of economic liberalisation actually wants to favour the foreign wagon monufacturing units in exchange for the interests of the public sector undertakings like the Burns Standard, Jessops, etc. In this perspective, what are the precautionary measures that have been taken by the Ministry to Combat the possibility of phasing out the public sector by the foreign firms from undercutting wagon prices even below the production cost?

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Sir, this is very simple. This has got nothing to do with any foreign company, nor are we importing even a single wagon from anywhere outside the country. The entire procurement is done within the country. There are some units of wagon industry in the public sector and in the private sector, and all are members of the Wagon India Ltd. Sir, now the question is how to protect the public sector: By reserving 50 per cent for the public sector and the other 50 per cent for the private sector? Sir, I want to make one thing very clear. The buyer should have the liberty to save the money. After all, today, if the Railways need money, we cannot go on squandering money. So, I must have the liberty. I can understand the anxiety of the Member. If I am going to Europe or Russia or America or somewhere outside the country without protecting my own domestic industry, then they can find fault with me. If I am buying from the domestic market from both the private sector and the public sector, between the private sector and the public sector, to some extent I must look ofter the public sector. That is understandable. If a part of it I am giving it to the private sector, which it is also a domestic industry, at competitive rates, that, according to me, is also wrong because oll are Members of Wagon India. If the private sector is giving me at a lesser price, then the public sector should also be able to give me in the same range. On the contrary, it is going to be a dual price system which is not fair and it is up to the House to